**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)**

श्रीमती प्रीतो देवी पत्नी सोडी राम, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना हि0प्र0।

श्रीमती प्रीतो देवी पत्नी सोडी राम, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड खेवट नं0 320, खतौनी 356, जमाबन्दी साल 2016—17, महाल बाथड़ी में प्रार्थिया का नाम केहरो देवी पत्नी सोडी राम गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थिया का नाम केहरो देवी पत्नी सोडी राम की बजाये केहरो देवी उर्फ प्रीतो देवी पत्नी सोडी राम सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22—07—2024 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीक पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुना जाएगा।

आज दिनांक 27—06—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)**

श्री जसवीर सिंह पुत्र ईन्दर, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट नं0 350, खतौनी 519, जमाबन्दी साल 2016—17, महाल नंगल जट्टपुर व खेवट नं0 176, खतौनी नं0 262, जमाबन्दी साल 2020—21, महाल टाहलीवाल उपरला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री जसवीर सिंह पुत्र ईन्दर, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड खेवट नं0 350, खतौनी 519, जमाबन्दी साल

2016–17, महाल नंगल जट्टपुर व खेवट नं0 176, खतौनी नं0 262, जमाबन्दी साल 2020–21, महाल टाहलीवाल उपरला में प्रार्थी का नामा जसमेर सिंह पुत्र ईन्दर गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम जसमेर सिंह पुत्र ईन्दर की बजाये जसमेर सिंह उर्फ जसवीर सिंह पुत्र ईन्दर सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25–06–2024 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारिख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुना जाएगा।

आज दिनांक 07–05–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

---

**ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)**

श्रीमती कर्मी देवी पत्नी चरण दास, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद बराये इन्तकाल मकफूद–उल–खबरी बहक वारसान दर्ज करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती कर्मी देवी पत्नी चरण दास, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा लड़का कुशल कुमार पुत्र चरण दास लगभग 27 वर्षों से लापता है। उसका इन्तकाल मकफूद–उल–खबरी बहक कानूनी वारसान उसकी माता कर्मी देवी व भाई ज्योति प्रकाश के नाम दर्ज करने बारे प्राप्त हुआ है। प्रार्थिया के लड़के को आज तक किसी ने नहीं देखा है और न किसी ने सुना है। इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग में पुलिस रपट दिनांक 01–01–2024 को दर्ज करवाई गई थी प्रार्थिया का यह भी कहना है कि अगर वह जीवित होते तो वह अपने गांव/रिश्तेदार के पास मिलने आते। अतः सर्व साधारण को इश्तहार/मुश्त्री द्वार सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज/उजर हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय मे दिनांक 22–07–2024 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आये। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 24–06–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग,
हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————